दिनांक: 10.12.2014 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में कृषि रोड मैप के संबंध में आयोजित बैठक की कार्यवाही।

1. उपस्थिति- बैठक में विकास आयुक्त, बिहार/प्रधान सचिव, कृषि विभाग/प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग/प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग/प्रधान सचिव, उद्योग एवं गन्ना विभाग/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय/सचिव, जल संसाधन विभाग/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/ प्रबंध निदेशक, एस.बी.पी.एस.एल./ सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/ सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सचिव, वित्त विभाग/ निदेशक, भू'अभिलेख एवं परिमाप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग उपस्थित थे।

2. कृषि रोड मैप से संबंधित विभागों के द्वारा कृषि रोड मैप परफॉरमेंस इंडिकेटर के संबंध में एक प्रस्तुतिकरण की गई। संबंधित प्रगति प्रतिवेदन/प्रजेन्टेशन की प्रति संलग्न है। विचार-विमर्श के क्रम में निम्न निदेश दिये गये,

2.1 कृषि रोड मैप में शामिल विभागों के द्वारा दिनांक- 09.12.2014 तक 9591.33 करोड़ रूपये की निकासी/व्यय किया गया है। गतवर्ष इस अवधि तक 5364.93 करोड़ रूपये की निकासी/व्यय किया गया था। गतवर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में व्यय में अच्छी प्रगति हुई है। विभागों को उपलब्ध संशोधित योजना उद्व्यय की तुलना में कृषि विभाग द्वारा 50 प्रतिशत, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा 5.69 प्रतिशत, सहकारिता विभाग द्वारा 69.81 प्रतिशत, ऊर्जा विभाग द्वारा 39.58 प्रतिशत, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा 54.75 प्रतिशत, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा 15.56 प्रतिशत, उद्योग विभाग द्वारा 29.39 प्रतिशत, लघु जल संसाधन विभाग द्वारा 32.86 प्रतिशत, राजस्व विभाग द्वारा 30.74 प्रतिशत, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा 90.81 प्रतिशत, गन्ना उद्योग विभाग द्वारा 20.15 प्रतिशत तथा जल संसाधन विभाग द्वारा

28.83 प्रतिशत व्यय किया गया है। **पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा अगली बैठक तक 49 प्रतिशत व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।**

2.2 मनरेगा कार्यक्रम के अधीन पैक्स में गोदाम निर्माण का कार्य कराया जाय। यदि भारत सरकार से निधि की उपलब्धता में कठिनाई है तो इसे भारत सरकार के संज्ञान में लाया जाय।

2.3 बिहार राज्य भंडार निगम के द्वारा भंडार निर्माण का कार्य संतोषजनक नहीं होने की सहकारिता विभाग द्वारा समीक्षा की जाय तथा कम प्रगति की जवाबदेही तय की जाय। पैक्स में 500 अथवा 1000 मि.टन क्षमता के ही राईस मिल लगाये जाय। फसल बीमा योजना में उत्पन्न गतिरोध को दूर किया जाय तथा इसके लिए जवाबदेही तय की जाय।

2.4 लघु जल संसाधन विभाग द्वारा रू. 60 करोड़ की निजी तलाब की एक योजना नबार्ड को भेजी जाय। तलाब का निर्माण कृषि विभाग के द्वारा प्रचालित अनुदेश के अनुरूप विचार किया जाय। अहार-पाईन का सत्यापन कराया जाय।

2.5 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की राशि कृषि विभाग द्वारा योजना एवं विकास विभाग को उपलब्ध कराई जाय।

2.6 जल संसाधन विभाग द्वारा जल-जमाव मुक्त करने की प्रभावी योजना बनाई जाय। इसमें इको-सिस्टम को अक्षुण्ण रखते हुये कृषि योग्य भूमि का पुनर्वास किया जाय। जल संसाधन विभाग के योजना उद्व्यय को कम करने पर विचार किया जाय।

2.7 सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा सृजित किये गये परिसम्पत्ति का इनवेंट्री योजना एवं विकास विभाग द्वारा तैयार कराया जाय। सोलर ट्यूब-बेल परियोजना का सर्वे योजना एवं विकास विभाग द्वारा कराया जाय ताकि यह जाना जा सके कि योजना किस तरह से कारगर है।

2.8 पर्यावरण एवं वन विभाग को मनरेगा कार्यक्रम से निधि उपलब्ध कराया जाय। पर्यावरण एवं वन विभाग को बसंत कालीन पौधों के लिए अतिरिक्त

उद्व्यय उपलब्ध कराया जाय। पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 तक 24 करोड़ जीवित पौधों के लक्ष्य को पूरा किया जाय।

2.9 ऊर्जा विभाग द्वारा अनावश्यक बिजली का क्रय नहीं किया जाय। ग्रामीण इलाकों में 15 घंटा तथा शहरी इलाकों में 22 घंटा बिजली की आपूर्ति का प्रचार-प्रसार किया जाय। खेत में बिजली के पोल लगाने के लिए कार्यक्रम बनाया जाय। पोल बनाने वाली इकाईयों को कर-छूट के संबंध में वाणिज्य कर विभाग को ऊर्जा विभाग द्वारा विचार कर अपनी संस्तुति शीघ्र भेज दी जाय।

2.10 ग्रामीण कार्य विभाग को केन्द्र प्रायोजित योजना में भारत सरकार से कम निधि की उपलब्धता की सूचना दी गयी। यह विषय माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया जाय तथा निधि की उपलब्धता हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया जाय।

2.11 उद्योग विभाग द्वारा नयी औद्योगिक नीति में इकाईयों को अनुदान के स्थान को ब्याज अनुदान की योजना बनाई जाय। कोल्ड स्टोरेज के लिए कृषि के टैरिफ के अनुसार बिजली दर निर्धारित करने के लिए कार्यक्रम बनाया जाय।

2.12 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा उन्हीं स्थानों पर गोदाम की योजना ली जाय जहाँ पर जमीन उपलब्ध है। जहाँ गोदाम का निर्माण कार्य पूरा हो गया है, उन स्थनों पर एप्रोच रोड का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा प्राथमिकता पर किया जाय।

15/7/14

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
कृषि विभाग

ज्ञापांकः–पी0पी0एम0–85/2014 5778 /कृ०, पटना, दिनांक 22/12/ 2014

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/सचिव, सहकारिता विभाग/उद्योग विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन/ग्रामीण कार्य विभाग/गन्ना उद्योग विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/पर्यावरण एवं वन विभाग/ऊर्जा विभाग/योजना एवं विकास विभाग/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग–सह–निदेशक, पशुपालन/मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Tripathi
22/12/2014
(धनन्जयपति त्रिपाठी)
निदेशक, पी0पी0एम0।

ज्ञापांकः–पी0पी0एम0–85/2014 5778 /कृ०, पटना, दिनांक 22/12/2014

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Tripathi
22/12/2014
निदेशक, पी0पी0एम0।

वर्ष 2014–15 का परफॉरमेन्स इंडिकेटर

माह– नवम्बर

(वित्तीय करोड़ रू0 में)

क्र० सं0	परफौरमेंस इंडिकेटर	इकाई	2012–17 का भौतिक लक्ष्य	2014–15 का भौतिक लक्ष्य	2014–15 का वित्तीय लक्ष्य	2014–15 की भौतिक उपलब्धि	2014–15 की वित्तीय उपलब्धि	अभियुक्ति
1	कृषि विभाग							
A	बीज विस्थापन दर							
1	धान	प्रतिशत	50	44		38.75		
2	गेहूँ	प्रतिशत	35	36		30		गेहूँ बज वितरण/बोआई कार्य चल रहा है।
3	दलहन	प्रतिशत	30	25				
4	तेलहन	प्रतिशत	70	50				
B	बागवानी							
2	*सघन रोपन विधि से बाग की स्थापना*	एकड़	125000	7040	10.412	**5555**	7.98	
3	*जैविक सब्जी का क्षेत्र*	एकड़	150000	20232.5	19.4520	**0**	0.0000	VIUC के तहत प्रस्तावित। रबी और गरमा मौसम आधारित सब्जियों की जैविक खेती द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति की जायेगी।
4	*किसान समूह/ फेडरेशन का गठन*	संख्या	100000	5340	2.67	**1557**	0.78	–
C	जैविक खेती							
1	*वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई*	संख्या	900000	204974	116.45	**39700**	16.4939	
2	*जैव उर्वरक*	लाख एकड़	89.25	10.4		**5.59**		
3	*गोबर/बायो गैस*	संख्या	52780	5000	7.40	**351**		
D	कृषि यंत्र							
1	*पावर टिलर*	संख्या	55000	7500	33.75	**1146**	5.123	
2	*जीरो टिलेज*	संख्या	29000	6000	12.00	363	0.726	
3	*कम्बाईन हार्वेस्टर*	संख्या	700	350	10.50	48	1.35	
E	उत्पादकता बढ़ाने वाले तकनीकी हस्तक्षेप							
i	*गेहूँ की श्री विधि का प्रत्यक्षण*	एकड़	1750000	78649	12.58	43819	0.2013	रबी कार्यक्रम
ii	*गेहूँ की श्री विधि का गैर प्रत्यक्षण*			500000				
iii	*गेहूँ की श्री विधि का कुल आच्छादन (प्रत्यक्षण एवं गैरप्रत्यक्षण)*			578649				
iv	धान की श्री विधि का प्रत्यक्षण	एकड़	2100000	500000	150.00	484330	145.29	
v	*धान की श्री विधि का गैर प्रत्यक्षण*			2000000		921694		
vi	*धान की श्री विधि का कुल आच्छादन (प्रत्यक्षण एवं गैरप्रत्यक्षण)*			2500000	150.00	1406024	145.29	
vii	*जीरो टिलेज से गेहूँ की खेती का प्रत्यक्षण*	एकड़	1350000	292719	37.87	158090	24.82	
F	जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यक्रम							
1	दक्षिण बिहार में मक्का की खेती	एकड़	1425000	150000	35.60	92293	13.50	खरीफ फसल में भौतिक लक्ष्य 140000 एकड़ में लिया गया अवशेष भौतक लक्ष्य रबी फसल वर्ष 2014–15 में लिया जायेगा।
2	मेड़ पर अरहर की खेती	एकड़	143750	15625	2.50	15089	2.41	
G	फसल सघनता	प्रतिशत	180	165				
2	जल संसाधन विभाग							
1	अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन	हेक्टेयर	1156600	135754	467.922	140	167.572	
2	ह्रासित सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन	हेक्टेयर	1250000	214782	364.326	30148	80.248	
3	जल निस्सरण योजनाओं द्वारा जल जमाव से मुक्ति	हेक्टेयर	211000	11747.7	12.469	343.5	1.598	